अपील सूचना अधिकार संख्या 69/2021 (GCMS 2021/110)
श्री रजनीश चौहान, एडवाकेट 7–आई–43, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

20.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रजनीश चौहान उपस्थित हुआ। अपीलार्थी ने कथन किया कि **उसने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2021 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जिनमे से उसने दिनांक 16.07.2021 को कार्यालय में उपस्थित होकर बिन्दु संख्या 1,2,3,5,6 की सूचना प्राप्त कर ली है परनतु बिन्दुसंख्या 4 एवं 7 से 10 की सूचना आज तक उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए बिन्दु संख्या 4 एवं 7 से 10 की सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलवाने हेतु यह अपील दिनांक 29.07.2021 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यहकि भारत सरकार द्वारा DILRMP (Digital India Land Record Modenization programme MIS2.0) के तहत जिला श्रीगंगानगर की कृषि भूमि को Computerised online करने के लिए किस वर्ष में चयनित करके कार्य प्रारम्भ किया गया था, के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. यहकि NIC शाखा श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर को तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि को Computerised online प्रारम्भ करने के लिए दिये गये आदेश एवं सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. यहकि पटवार मण्डल तिलोकपुरा तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि को Computerised online प्रारम्भ करने के लिए दिए गए आदेश एवं कार्य पूर्ण होने तक के सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. यहकि पटवार मण्डल मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा संवत 2067—2070 के खता संख्या 19 के मुरब्बा नं. 7, 41, 42 को किस दिन Computerised online किया गया था कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. यहकि Computerised Land Records online करते समय हुई त्रुटि/लोप के सम्बन्ध में शुद्धि हेतु क्या प्रावधान है कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. यह कि Computerised Land Records online चैक करना व कोई भी परिवर्तन करना किस अधिकारी का दायित्व है कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. यहकि Computerised Land Records online तहसील श्रीगंगानगर का कार्य किन कर्मचारियों द्वारा करवाया गया था कि सम्पूर्ण नाम व दिनांक सहित सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. यहकि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online करते समय पटवार मण्डल मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा संवत 2067—2070 के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नं. 7, 41, 42 कितनी बार Check List जमाबन्दी निकाली गई एवं किस दिनांक को एवं इन Check List जमाबन्दी को किस अधिकारी द्वारा प्रामणित किया गया की प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. यह कि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर का Computerised Land Records online करते समय Check List जमाबंदी को फाईनल करने के सम्बन्ध में प्रावधान एवं नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
10. यहकि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online कार्य पूर्ण होने के बाद आज दिनांक [illegible] तक तहसील श्रीगंगानगर के कितने खातों में शुद्धि की जा चुकी है कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ(1—ई)भू.अ./सूचना का अधिकारी/2021/4420 दिनांक 17.08.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गयी 10 बिन्दुओं की सूचना के क्रम में बिन्दु संख्या 1 से 3 व 5 एवं 6 की सूचना आवेदक रजनीश चौहान को कार्यालय हाजा के पत्रांक 3910 दिनांक 06.07.2021 एवं अन्य प्रमाणित प्रतिलिपियां आवेदक द्वारा दिनांक 16.07.2021 को कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्राप्त कर ली गयी है जबकि बिन्दु संख्या 4 एवं 7 से 1.?0 तक की सूचना तहसील श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण कार्यालय हाजा के पत्रांक 3911–12 दिनांक 06.07.2021 द्वारा तहसील, श्रीगंगानगर को सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था।

अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 4 एवं 7 से 10 तक की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अपील की है। अतः अपील से संबंधित जवाब तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा पेश किया जाना है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार पत्र एवं पत्रावली की प्रतिलिपि।

-sd-

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.),श्रीगंगानगर
दिनांक : 08.21

क्रमाक/सम/

1. प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

2. तहसीलदार, श्रीगगानगर को प्रेषित कर लेख है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आपको पत्रांक 3911–12 दिनांक 06.07.2021 द्वारा आपको भिवाया हुआ है। अतः आप संबंधित कर्मचारी को तारीख पेशी दिनांक 23.08.2021 को [illegible] बजे मय रिकॉर्ड सुनवाई के लिए न्यायालय जिला कलक्टर, [illegible] में उपस्थित आने के लिए पाबन्द कर पालना से सूचित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.),श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार, (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2021/भू.अ./1920 दिनांक 19.07.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	विवरण
4	यहकि पटवार मण्डल मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि को Computerised online प्रारम्भ करने के लिए दिए गए आदेश एवं कार्य पूर्ण होने तक के सम्पूर्ण आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि।	आप द्वारा किसी आदेश क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। संकलित कर/खोज कर कोई सूचना देने का प्रावधान नहीं है। अतः आप कार्यालय समय में उपलस्थित आकर पत्रावली का अवलोकन कर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर नकल प्राप्त कर सकते है।
7	यह कि Computerised Land Records online चैक करना व कोई भी परिवर्तन करना किस अधिकारी का दायित्व है कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि।	आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवचाक है जो सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
8	यहकि Computerised Land Records online तहसील श्रीगंगानगर का कार्य किन कर्मचारियों द्वारा करवाया गया था कि सम्पूर्ण नाम व दिनांक सहित सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि।	आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवचाक है जो सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
9	यहकि [illegible] श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online [illegible] समय पटवार मण्डल मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा संवत	आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवचाक है जो सूचना के अधिकार में देय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	2067–2070 के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नं. 7, 41, 42 कितनी बार Check List जमाबन्दी निकाली गई एवं किस दिनांक को एवं इन Check List जमाबन्दी को किस अधिकारी द्वारा प्रामणित किया गया की प्रमाणित प्रतिलिपि।	
10	यह कि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर का Computerised Land Records online करते समय Check List जमाबंदी को फाईनल करने के सम्बन्ध में प्रावधान एवं नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि।	राज. लैड रिकॉर्ड रूलस 1957 के भाग प्रथम अध्याय 6 व 7 तथा नियम 169डी से 169के तक है जिसकी नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर कार्यालय से प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।

(संजय कुमार)
तहसीलदार (भू.अ.),श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं के बिन्दु संख्या 1 से 3 व 5 एवं 6 की सूचना प्रभारी अधिकारी (भू.), श्रीगंगानगर दी जा चुकी है और बिन्दु संख्या 4 एवं 7 से 10 की सूचनाएं के सम्बन्ध में तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है, जिसके अनुसार वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 7 से 9 प्रश्नात्मक है और बिन्दु संख्या 4 एवं 10 की सूचना अपीलार्थी शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो कि पत्रावली में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी(भू.अ.), श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है। अपीलार्थी बिन्दु संख्या 4 व 10 की सूचना शुल्क जमा कर तहसीलदार, श्रीगंगानगर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील नियमानुसार शामिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20[illegible]2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर